

प्ररूप-20

(नियम 49 और 89 देखें)

ग्राम पंचायत.....के सिविल वादों
का रजिस्टर

क्र०सं०	दायर करने की तारीख	पिता का नात तथा पूरे पते सहित आवेदक या वादी का नाम	पिता के नाम व पते सहित प्रतिवादी का नाम	वाद का विवरण	वाद का मूल्यांकन	विनिश्चय की तारीख
1	2	3	4	5	6	7

विनिश्चय का परिणाम	क्या कोई अपील दायर की गई	अपील या पुनरीक्षण में विनिश्चय	अभिलेख कक्ष में नस्ति के प्रेक्षण की तारीख	हस्ताक्षर प्रधान	टिप्पणी
8	9	10	11	12	13

प्ररूप-21

(नियम 89 देखें)

ग्राम पंचायत के फौजीदारी मामलों का रजिस्टर

क्र०सं०	दायर करने की तारीख	परिवादी का नाम पिता/पति का नाम और पता	अभियुक्त का नाम पिता का नाम और पता	अपराध तथा धारा	विनिश्चय की तारीख	विनिश्चय का परिणाम
1	2	3	4	5	6	7

--	--	--	--	--	--	--

क्या कोई अपील दायर की गई	अपील में विनिश्चय	अभिलेख कक्ष में नस्ति के प्रेषण की तारीख	हस्ताक्षर प्रधान	टिप्पणी
8	9	10	11	12

प्ररूप-22

(नियम 89 देखें)

ग्राम पंचायत की राजस्व कार्यवाहियों का रजिस्टर

क्र०सं०	दायर करने की तारीख	पिता का नाम और पते सहित आवेदक का नाम	पिता का नाम और पते सहित प्रतिवादी का नाम	कार्यवाहियों का विवरण	मामले का मूल्यांकन	विनिश्चय की तारीख
1	2	3	4	5	6	7

विनिश्चय का परिणाम	क्या कोई अपील या पुनरीक्षण अर्जी (फाईल) की गई थी	अपील या पुनरीक्षण में विनिश्चय	अभिलेख कक्ष में नस्तियों के पोषण की तारीख	हस्ताक्षर प्रधान	टिप्पणियां
8	9	10	11	12	13

प्ररूप-23

(नियम 55 देखें)

.....ग्राम पंचायत द्वारा (सिविल वादों या राजस्व कार्यवाहियों) दिए गए निर्णय या डिक्री का प्ररूप

- (1) वाद या कार्यवाहियों की संख्या:
- (2) वाद दायर किए जाने या प्राप्ति की तारीख:
- (3) वाद या कार्यवाही का मूल्यांकन
- (4) संग्रहीत फीस की रकम:
- (5) निपटारे की तारीख:
- (6) विनिश्चय देने वाले पंचों का नाम:
 - 1.
 - 2.
 - 3.

वादी या आवेदक का नाम.....बनाम प्रतिवादी या विरोधी पक्षकार का नाम
 माता/पिता का नाम.....माता/पिता का नाम.....
 धर्म..... धर्म.....
 आयु..... आयु.....
 निवास स्थान..... निवास स्थान.....
 ग्राम सभा का नाम..... ग्राम सभा का नाम.....

निर्णय

वाद की विषय-वस्तु, दोनों में से किसी एक पक्ष का प्रतिविरोध प्रत्येक पक्ष के साक्ष्य का सारांश, कारणों सहित निष्कर्ष और पंचों के हस्ताक्षर सहित निर्णय।

पंचों के हस्ताक्षर

पक्षकारों के हस्ताक्षर या अंगूठे के चिन्ह

प्ररूप-24

(नियम 55 देखें)

.....ग्राम पंचायत द्वारा आपराधिक मामलों में दिया गया निर्णय

- (1) मामले की संख्या:
- (2) दायर किए जाने की तारीख:
- (3) संग्रहीत फीसों की राशि:
- (4) निपटारे की तारीख:

आवेदक का नाम	बनाम	आवेदक का नाम
माता/पिता का नाम.....		माता/पिता का नाम.....
धर्म.....		धर्म.....
आयु.....		आयु.....
निवास का पता.....		निवास का पता.....
पुलिस थाना.....		पुलिस थाना.....
ग्राम सभा.....		ग्राम सभा.....

निर्णय

(प्रतिवाद की विषय वस्तु और अभियुक्त का अभिवचन, का दोनों पक्षों के साक्ष्य का सारांश, कारणों और निष्कर्ष निर्णय)

पंचों के हस्ताक्षर

पक्षकारों के हस्ताक्षर या
अंगूठ के चिन्ह

प्ररूप-25

(नियम 55 देखें)

ग्राम पंचायत द्वारा दी गई डिक्री का.....फार्म
.....ग्राम पंचायत द्वारा.....पर जारी किया डिक्री प्ररूप।

वादी

बनाम

प्रतिवादी

दावा बावत.....

यह वाद आज अन्तिम निपटारे के लिए.....पंचायत के समक्ष वादी/वादी के मुख्तार और प्रतिवादी/प्रतिवादी के मुख्तार की उपस्थिति में आया, यह आदेश दिया जाता है कि.....रूपये की राशि/रकम..... को संदत्त की जाए।

आज तारीख.....को हमारे हस्ताक्षर और गाम पंचायत की मोहर से जारी किया गया।

ग्राम पंचायत
के प्रधान के हस्ताक्षर।

प्ररूप-26

(नियम 85 और 89 देखें)

.....ग्राम पंचायत की डिक्री के निष्पादन का रजिस्टर

क्रम संख्या	आवेदन को उपस्थित करने की तारीख	वाद की संख्या	वाद के पक्षकारों का नाम तथा पता	डिक्री की तारीख और विवरण	आवेदक का नाम
1	2	3	4	5	6

निर्णीतणी का नाम	आवेदक की प्रार्थना	निष्पादन की तारीख और परिणाम	आदेश जारी करने वाले अधिकारी के नाम और तारीख सहित आदेश का संक्षिप्त विवरण	अभिलेख कक्ष में नस्ति के प्रेषण की तारीख	टिप्पणी
7	8	9	10	11	12

प्ररूप-27

(नियम 86 देखें)

.....ग्राम पंचायत के जुर्माना वसूली के रजिस्टर

क्र०सं०	मामले की संख्या	मामले का विवरण	पक्षकारों की विशिष्टियां	विनिश्चय की तारीख	जुर्माने की राशि	पक्षकार का नाम जिस पर जुर्माना अधिरोपित किया गया

1	2	3	4	5	6	7

ग्राम पंचायत द्वारा वसूल की गई जुर्माने की राशि	प्राप्ति की तारीख तथा रसीद संख्या	उप-मण्डल दाण्डिक मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुती की तारीख	उप-मण्डल दाण्डिक मैजिस्ट्रेट द्वारा वसूल की गई राशि तथा चालान संख्या	उप-मण्डल दाण्डिक मैजिस्ट्रेट द्वारा वसूल की तारीख	जुर्माने का अतिशेष	टिप्पणी
8	9	10	11	12	13	14

प्ररूप-28

(नियम 83 और 89 देखें)

.....ग्राम पंचायत के आहार का रजिस्टर

क्रम संख्या	पक्षकारों की विशिष्टियों सहित मामले की संख्या	जमा की गई राशि	जमा करने की तारीख तथा रसीद संख्या	किस द्वारा जमा की गई	संदत्त राशि
1	2	3	4	5	6

किससे संदत्त गई	संदाय की तारीख	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर	प्रधान/उप-प्रधान या अध्यक्ष धर्मासन के हस्ताक्षर जिसके सामने संदाय किया गया था	टिप्पणी
7	8	9	10	11

प्ररूप-29

(नियम 89 देखें)

.....ग्राम पंचायत की आदेशिका और समन रजिस्टर

क्र०सं०	वाद/मामले की संख्या जिसमें	उन व्यक्तियों के नाम	समन जारी करने	समन या नोटिस तामील	समन या नोटिस तामील	समन तामील करने
---------	----------------------------	----------------------	---------------	--------------------	--------------------	----------------

	समन जारी किया गया है	जिनको समन जारी किया गए हैं	की तारीख	करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर	करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर	की तारीख
1	2	3	4	5	6	7

पंचायत को समन वापिस करने की तारीख	सचिव के हस्ताक्षर	तामील फीस की कुल रकम	समन या नोटिस तामील करने वाले व्यक्ति का अंश	समन या नोटिस तामील करने वाले व्यक्ति के किए गए संदाय की तारीख	समन या नोटिस तामील करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
8	9	10	11	12	13

प्ररूप-30

(नियम 57, 68, 89 और 92 देखें)

रसीद का प्ररूप(रसीद बही)

ग्राम पंचायत.....तारीख.....

श्री.....से.....

रूपये की राशि.....के कारण

ग्राम पंचायत.....तारीख.....

श्री.....से.....

रूपये की राशि.....के कारण

प्राप्त की।	प्राप्त की।
न्यायालय फीस.....	न्यायालय फीस.....
समन फीस.....	समन फीस.....
निष्पादन फीस.....	निष्पादन फीस.....
प्रति तैयार करने की फीस.....	प्रति तैयार करने की फीस.....
जुर्माना.....	जुर्माना.....
कोई अन्य फीस.....	कोई अन्य फीस.....

प्रधान/उप-प्रधान/सचिव के
हस्ताक्षर

प्रधान/उप-प्रधान/सचिव के
हस्ताक्षर

प्ररूप-31

(नियम 69 देखें)

....ग्राम पंचायतों द्वारा जारी समन

वाद/मामले/कार्यवाहियों की संख्या.....

पक्षकारों का नाम.....बनाम.....

अपराध या दावे की प्रकृति.....

संस्थित किए जाने की तारीख.....

समन किए गए व्यक्ति का नाम या विवरण.....

जबकि यह मामला.....ग्राम पंचायत के समक्ष.....(समय और तारीख) कोस्थान पर रखा जाएगा और इसलिए आप.....से एतद्द्वारा अभियुक्त/प्रतिवादी/निर्णीत/अन्य पक्षकार/साक्षी के रूप में, साक्ष्य देने या निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है:-

तारीख.....

हस्ताक्षर

स्थान.....

हस्ताक्षर।

प्रधान की मोहर सहित

या पीठ के अध्यक्ष के

प्ररूप-32

(नियम 128 देखें)

सेवा में,